आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

P.N. 132 –
P.N. 137 –
P. 138 –
15-7-17

न्यायालय, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गढ़वा।

विविध अपील वाद सं0–04 / 2014–15

कुमारी अन्नपुर्णा देवी
बनाम
जितेन्द्र चंद्रवंशी वगै0

आदेश

यह वाद आवेदिका अन्नपुर्णा देवी, पिता–बाबु केदारनाथ सिंह, ग्राम–पिपराकला, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा के विविध वाद सं0–33 / 2013–14 में दिनांक 09.07.2014 को परित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है, जिसके आलोक में अभिलेख संधारित कर वाद की कार्रवाई प्रारंभ किया गया। इस वाद में निहित भूमि का विवरणी निम्नवत है :–

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
पिपराकला	342	51	196	0.19 डी0
		51	249	0.11 डी0
			कुल	0.30 डी0

वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों को सुना गया। विज्ञ अधिवक्ता प्रथम पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा विविध वाद सं0–33 / 2013–14 में दिनांक 09.07.14 को परित आदेश पुरी तरह से गैर कानुनी है एवं नियम संगत नहीं है। तत्कालीन उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गढ़वा द्वारा खाता सं0–51, प्लॉट–196, रकबा–0.19 डी0 का लगान निर्धारण विविध वाद सं0–06 / 2003–04 के द्वारा किया गया है, जो नियम के विरूद्ध है। आवेदक के विज्ञ अधिववक्ता का कहना है कि उक्त भूमि खेवट सं0–03 की भूमि है जिसके मालिक बाबु कालीचरण सिंह एवं बाबु विष्णु प्रसाद सिंह पिता अजित सिंह, बाबु त्रिवेणी सिंह पिता गंगाजीत सिंह थे। उक्त भूमि बाबु केदारनाथ सिंह, पिता त्रिवेणी सिंह को बंटवारा में प्राप्त है। आवेदिका बाबु केदारनाथ सिंह की एकमात्र पुत्री है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तावित भूमि खेवट सं0–26 की भूमि है एवं समिलात मालिकान में जानकी पाण्डेय का नाम दर्ज है। जानकी पाण्डेय को प्रस्तावित भूमि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा वर्ष 1919 ई0 में महाराजा कुमार बाबु आनंद सिंह, बाबु गंगाजीत सिंह वो बाबु अमरदयाल सिंह से दान पत्र द्वारा हसिल है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि तत्कालीन भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता गढ़वा द्वारा खाता सं0–51, प्लॉट सं0–196, रकबा–0.19 डी0 का लगान निर्धारण विविध वाद सं0–06 / 2003–04 के द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर मांग खोला गया है। उक्त संदर्भ में आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है साथ हीं इनके द्वारा प्रथम पक्ष के एम0 रौल संख्या 175 / 55–56 अवैध है। इस संबध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एम0 रौल का सत्यापन से संबंधित सूचना जिला अभिलेखागार पलामू, जिला अभिलेखागार, गढ़वा के द्वारा उपलब्ध कराई गई है से स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई एम0 रौल अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है।

अंचल अधिकारी, गढ़वा के निम्न न्यायालय वाद सं0–33 / 2013–14 में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता सं0–51, प्लॉट सं0–249, रकबा–0.11 डी0 का मांग दरगाही राम वो

Scanned with CamScanner

लक्ष्मण राम वल्द नारायण राम के नाम से मांग पंजी–2 के पृष्ठ सं0–43/1 पर चलता है। साथ ही उनके हाता के अधीन है प्रतिवेदित किया गया है। आवेदिका के द्वारा 175/55–56 एम0 रौल प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्रस्तावित भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। अंचल अधिकारी, गढवा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मांगधारी के द्वारा इस 0.11 डी0 भूमि के चल रहे मांग के संबंध में कोई आदेश की प्रति नहीं समर्पित किया गया है।

उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि खेवट सं0–26 की भूमि है। साथ ही तत्कालीन भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, गढ़वा द्वारा खाता सं0–51, प्लॉट सं0–196, रकबा–0.19 डी0 का लगान निर्धारण किया गया है न्यायसंगत है। अंचल अधिकारी, गढ़वा के निम्न न्यायालय वाद सं0–33/2013–14 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता सं0–51, प्लॉट सं0–249, रकबा–0.11 डी0 एकड़ भूमि का माग श्री दरगाही राम वो लक्ष्मण राम, वल्द नारायण राम के नाम से माँग पंजी 02 के पृष्ठ संख्या 43/1 पर कायम है।

यह कि सभी पक्षकारों के लिखित जवाब का गहन परीक्षण करने के उपरांत पाया कि बाबु केदारनाथ सिंह का एम0 रौल संख्या 175/55–56 में दर्ज सभी खाता एवं प्लॉट से कुछ भूमि बकास्त खाते की, कुछ रैयती खाते की एंव कुछ गैरमजरूआ खाते का पाया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत है :

खाता सं0	खेवट सं0	भूमि का किस्म/प्रकार
51	26	बकाश्त खाते की भूमि है।
56	26	गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है।
36	21	गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है।
14	21	रैयति खाते की भूमि है।
38	22	बकाश्त खाते की भूमि है।
49	22	गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है।
01	02	गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है।

उक्त खेवट सं0–21, 22, 26 एवं 02 खेवट का मालिक अलग–अलग जमींदार के नाम पर दर्ज है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाबु केदारनाथ सिंह, पिता त्रिवेणी सिंह के नाम पर ग्राम–पिपराकला (गढ़वा) में कोई खेवट नहीं है। श्री केदारनाथ सिंह के नाम पर कोई खेवट नही होते हुए भी एम0 रौल संख्या 175/55–56 प्रस्तुत किया गया है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अतः तत्कालीन भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, गढ़वा द्वारा खाता सं0–51, प्लॉट सं0–196, रकबा–0.19 एकड़ का लगान निर्धारण किया गया है जो पंजी–2 के पृष्ठ सं0–79/4 पर कायम है एवं वाद सं0–33/2013–14 से खाता सं0–51, प्लॉट सं0–249, रकबा–0.11 डी0 एकड़ भूमि का मांग श्री दरगाही राम वो लक्ष्मण राम, वल्द नारायण राम के नाम से माँग पंजी 02 के पृष्ठ संख्या 43/1 पर कायम है, जिसका मांग स्थगित करना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित माँग को यथावत रखते हुए आवेदक के आवेदन को खारीज किया जाता है। इसी आशय के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

03/07/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

03/07/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner